न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 (2022/310)

1. रामेश्वर पुत्र धन्ना माली जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. गोकल पुत्र धन्ना माली जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री सूर्यकान्त दाधीच — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री शिवप्रसाद पाराशर — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी संख्या 2

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. अभिधृति अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांकः— 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. अभिधृति अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3200—2212	10184/4844 10187/4845 10189/4850	0.8050 0.0650 0.0500	बारानी 2 गै.मु.पाल गै.मु.पाल
	किता 3	रकबा 0.9200 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है, जिसमें आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात खाता संख्या नया पुराना 3199—2212 की आराजी खसरा नम्बर 10188/4845 व 10186/4844 की भूमि में से होकर मौके पर अवस्थित है, आराजी खसरा नम्बर 10186/4844 व 10188/4845 दोनो लगवा स्थित है जिनमें से जानिब पश्चिमी दक्षिणी ओर से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में आते जाते है तथा पूर्व में भी उक्त रास्ता कदीम से अवस्थित है तथा लगभग 30 फिट चौडा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का कोई रास्ता नही है। उक्त कदीम रास्ता आरंभ से मौके पर अवस्थित है जिससे प्रार्थी आते जाते है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकोर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है —

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम/कस्बा केकड़ी के खसरा नम्बर 10184/4844 रकबा 0.805 हैक्टर, 10187/4845 रकबा 0.065, 10189/4850 रकबा 0.05 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थी वर्तमान में खसरा संख्या 4823, 4826 जिसमें मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है जिससे होते हुए खसरा संख्या 10188/4845, 10186/4844 से होता हुआ खसरा नम्बर 10184/4844 तक आवागमन कर रहा है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम कटानी रास्ता न होकर कदीमी रास्ता चालू है।
4. प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 4823 व 4826 में मौके पर चालू कदीमी रास्ता होने से उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता नही चाहा गया है एवं खसरा नम्बर 10188/4845 व 10186/4844 से होकर आवागमन सुविधाजनक एवं नजदीक रहेगा।
5. उपरोक्तानुसार वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही दिया जा सकता।
6. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
7. प्रतिवादी जमीन के बदले जमीन के लिए सहमत है लेकिन वादी जमीन के बदले जमीन देने पर सहमत नही है।
8. खसरा संख्या 10188/4845 रकबा 0.005 किस्म गै.मु.पाल है।
9. प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 10188/4845 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 10186/4844 में से 8 X 6.2 = 50 वर्गमीटर कुल 0.01 हैक्ट क्षेत्रफल बनता है, राजस्व नक्शे अनुसार 8 X 8 मीटर बनता है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 0.01 हैक्ट भूमि हेतु वर्तमान डीएलसी दर 1290124/— प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 25803/— रूपये बनते है।
10. खसरा नम्बर 10188/4845 गै.मु.पाल, 10186/4844 बारानी 2 गोकल पुत्र धन्ना कौम माली रहिन 1/2 हि0 बीओबी शाखा केकड़ी दर्ज है।
11. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब बन्द किया जाकर तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया रास्ता ही उपर्युक्त प्रतीत होता है परन्तु खसरा नम्बर 10188/4845 रकबा 0.005 किस्म गै.मु.पाल है एवं प्रतिबंधित श्रेणी होने से किस्म परिवर्तन नही किया जा सकता है जिससे खसरा नम्बर 10188/4845 में से प्रार्थी को रस्ता दिया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित ग्राम/कस्बा केकड़ी के खसरा नंबर 10186/4844 रकबा 0.05 में से 8 X 6.2 = 50 वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डीएलसी दर के दौगुना से प्रतिकर राशि 12902/— (बारह हजार नो सौ दो) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में से केवल खसरा नम्बर 10186/4844 में प्रस्तावित रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर मौके रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में से केवल खसरा नम्बर 10186/4844 में प्रस्तावित अनुसार रास्ता सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर